रामप्रसाद बनाम रमजानी

अपील संख्या : 2020/00086

18.09.2020	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित । अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन के निर्णय दिनांक 03.06.2019 के खिलाफ पेश की गई है । अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू आब्जेक्शन दर्ज रजिस्टर की गई । स्थगन प्रार्थना पत्र उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया कि पत्थरगढी का आदेश उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिया गया है और धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ अपील इस न्यायालय में पेश की जा सकती है । डीएनजे 2019 (4) पेज 1400 उद्वरत की । स्थगन प्रार्थना पत्र बहस करते हुए उनके द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पोडेन्ट कम 02 को सम्मन जारी किये गये । तामील के दौरान ही मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट कम 01 ने पेश किया । रेस्पोडेन्ट कम 02 की तलबी के लिए तारीखें चलती रहीं इसी बीच रेस्पोडेन्ट कम 01 ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया और रेस्पोडेन्ट कम 02 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है । जल्दबाजी में रिपोर्ट एवं मौके का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर पर अपीलान्ट का कब्जा है इससे लगवा अपीलान्ट के खाते की आराजी है जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2013 से होती है । आवंटन आदेश को अपीलान्ट ने चैलेंज किया है जो लम्बित है । तथ्यों को छुपाकर अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना यह निर्णय पारित करवाया गया है । धारा 128 एल0आर0 एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी का क्षेत्राधिकार नहीं है फिर भी निर्णय पारित किया गया है । इस आदेश की आड में अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा है । अगर आस–पास के काश्तकारों से सीमा का विवाद है तो उपखण्ड अधिकारी पत्थरगढी का आदेश से सकते हैं । परन्तु इस स्थिति में आस–पास के काश्तकारों को नोटिस दिया जाना अनिवार्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में कथन किया कि पत्थरगढी के आदेश के खिलाफ अपील इस

न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं और उनको अपने खाते की आराजी की पत्थरगढी कराने का पूर्ण अधिकार है । 2011 एवं 05.01.2012 की रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट वादी का कब्जा माना गया है । अपीलान्ट के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वो किन के आदेश से मंगवायी गई है यह स्पष्ट नहीं है । कब्जे की रिपोर्ट तो खातेदार की प्रार्थना पत्र पर ही मंगवायी जा सकती थी । रेस्पोडेन्ट ने फर्द के साथ कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रति भी पेश की हैं । पत्थरगढी के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हो चुकी है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 03.09.2019 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है । उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया है । धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी ने जो यह निर्णय पारित किया है वह लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से पारित किया है और धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा जो निर्णय पारित किया जाता है उसकी अपील डायरेक्टर ऑफ लैण्ड रिकॉर्ड के समक्ष ही की जा सकती है । डायरेक्टर लैण्ड ऑफ रिकॉर्ड का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त अथवा अतिरिक्त संभागीय के पास है न कि इस न्यायालय के पास ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं होने से सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापस लौटाई जाती है ।

आदेश आज दिनांक 18.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा